पहले हज्ज करना चाहिए या शादी ?

[हिन्दी – **Hindi** – هندي]

शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

अनुवाद: **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج ﴾

« باللغة الهندية »

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2011 - 1432

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पहले हज्ज करना चाहिए या शादी ?

प्रश्नः

क्या सक्षम व्यक्ति के लिए हज्ज को शादी के बाद तक विलंब करना जाइज़ है ? क्योंकि इस ज़माने में युवाओं को बहकाने व भटकाने वाली चीज़ों और फित्नों (प्रलोभनों) का सामना है, चाहे वे छोटी हों या बड़ी ?

उत्तरः

इस में कोई शक नहीं कि कामुकता और अत्यावश्यकता के साथ शादी करना हज्ज करने पर प्राथमिकता रखता है, क्योंकि यदि मनुष्य के अंदर कठोर कामुकता पाई जाती है तो उस समय उसका शादी करना उसके जीवन की आवश्यकताओं में से है, अतः वह खाने और पीने के समान है, इसीलिए जिस आदमी को शादी की ज़रूरत है और उसके पास धन नहीं है उसे ज़कात के माल से

इतना भुगतान करना जाइज़ है जिस से उसकी शादी हो जाए, जिस प्रकार कि निर्धन आदमी को ज़कात से इतना दिया जाता है जिस से उसकी जीविका, उसके पहनने और अपनी शर्मगाह को छिपाने का प्रबंध हो सके।

और इस आधार पर हम कहते हैं कि : यदि वह व्यक्ति निकाह का ज़रूरतमंद है तो वह निकाह को हज्ज पर प्राथमिकता देगा, इसलिए कि अल्लाह तआला ने हज्ज के अनिवार्य होने के लिए सक्षम होने (ताक़त) की शर्त लगाई है, चुनांचे फरमाया :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ﴾ [آل عمران : ٩٧].

अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो उस तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं इस घर का हज्ज करना अनिवार्य कर दिया है। (सूरत आल-इम्रान : ९७)

किंतु जो व्यक्ति युवा है और उसके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वह इस वर्ष शादी करे या उसके बाद वाले वर्ष शादी करे तो ऐसा व्यक्ति हज्ज को प्राथमिकता देगा, क्योंकि उसे शादी को प्राथमिकता देने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह सर्वशक्तिमान ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है।

मजमूओ फतावा व रसाइल लिश-शैख अल-उसैमीन (२१/७३-७४).